कार्यालय अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बारां

1. बारां जिले में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता :-

विद्युत की मांग	:	13.00 लाख युनिट प्रतिदिन
विद्युत की उपलब्धता	:	13.00 लाख युनिट प्रतिदिन
अन्तर	:	0.00 लाख युनिट प्रतिदिन

2. विद्युत आपूर्ति की स्थिति :- बारां जिले में राज्य सरकार/निगम आदेशानुसार वर्तमान में विद्युत आपूर्ति निम्न प्रकार दी जा रही है :-

क्र.सं.	क्षैत्र	विद्युत आपूर्ति का प्रकार	विद्युत आपूर्ति का समय
1	शहरी क्षेत्र	थ्री फेज	24 घंटे (विद्युत उपलब्धता पर)
2	शहरी क्षेत्र	सिंघल फेज	24 घंटे (विद्युत उपलब्धता पर)
3	ग्रामीण क्षेत्र	सिंघल फेज	11 घंटे (सायं 7 से प्रात: 6 बजे)
4	ग्रामीण क्षेत्र	थ्री फेज	5 घंटे 3 ब्लॉक में निम्न प्रकार दी जा रही है।

ए – ब्लॉक	बी – ब्लॉक	सी – ब्लॉक
रात्रि 11 बजे से प्रात: 4 बजे तक	प्रात: 4 से प्रात: 9 बजे तक	दोपहर 2 बजे से सायं 7 बजे तक

वर्तमान में विद्युत की उपलब्धता एवं मांग में कोई अंतर नही होने के कारण किसी भी प्रकार की कटौती नही की जा रही है।

3. जले हुए ट्रांसफार्मर को 72 घंटे में बदलने की पालना :- राज्य सरकार निगम आदेशानुसार ट्रांसफार्मर जलने के पश्चात् बदलने की कार्यवाही 72 घंटे में ही की जा रही है। 01 अप्रेल 2011 से 30 जून 2011 तक बारां जिले में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने का विवरण निम्न प्रकार है:-

ट्रांसफार्मर जलने की संख्या	ट्रांसफार्मर बदनले की संख्या
380	380

4. वर्ष 2011-12 में जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008 तक के कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदको के कनेक्शन देने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा :- किसानों को लाभान्वित करने के लिए सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु वर्ष 2010-11 में 2341 जमा मांग पत्र में से 2119 कृषि कनेक्शन 31 मार्च 2011 तक जारी किए जा चुके है।

   वर्ष 2010-11 के शेष जमा मांग पत्र वाले 222 आवेदको में से 30 जून 2011 तक 118 कनेक्श जारी किये गये है। शेष कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही निगम नियमानुसार की जा रही है।

   वर्ष 2011-12 में जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008 तक कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों के मांग पत्र निगम आदेश आरईओ 222 की पालना अनुसार 2 चरण में जारी किये जावेंगे। इस आदेश की पालना में बारां जिले में माह 30 जून 2011 तक 1846 मांग पत्र जारी किये गये है जिसमें से 946 मांग पत्र जमा हुए है।

5. फीडर सुधार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा (कृषि कनेक्शनों पर सुपर ट्रांसफार्मर लगाने की प्रगति) :- बारां जिले में कुल 166 ग्रामीण 11 केवी फीडर पर फीडर सुधार कार्यक्रम चलाया गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विवरण	फीडर की संख्या	लाभान्वित गांवो की संख्या
1	कुल ग्रामीण फीडर	166	962
2	कार्य आदेश जारी	166	962
3	कार्य पूर्ण	166	962
4	24 घंटे घरेलू विद्युत आपूर्ति की स्थिति	166	0

उक्त कार्यक्रम के तहत कृषि कनेक्शनो पर सुपर ट्रांसफार्मर नही लगाये गए है। मीटर बॉक्स वाले ट्रांसफार्मर लागये गए है।

6. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना :- राजीव गांधी योजना के अंतर्गत 116 गांव, 94 ढाणियों का विद्युतीकरण व 41358 बी.पी.एल. कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है। बारां जिले की उक्त योजना की स्वीकृति मार्च 2008 में प्राप्त हुई है, उसके पश्चात् पी.जी.सी.आई.एल. कार्यकारी एजेंसी द्वारा उक्त कार्य करने का ठेका ए.बी.बी. कम्पनी को दिया हुआ है उक्त योजना में 30 जून 2011 तक 82 गांव एवं 39 ढाणियों का विद्युतीकरण कर निगम को हेण्ड ओवर किये गये है तथा 8544 बी.पी.एल. कनेक्शन पीजीसीआईएल एवं 2310 बी.पी.एल. कनेक्शन सीएलआरसी पर जारी किये गये।

7. विद्युत चोरी हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा :- विद्युत चोरी रोकने हेतु विद्युत चोरी वाले क्षेत्रों में रेबीट कनडक्अर, ऐबी केबल डाली गई है तथा उपभोक्ताओं के आमर्ड केबल एवं फुशफिट मीटर लगाये गये है, कृषि उपभोक्ताओं के मीटर बॉक्स वाले ट्रांसफार्मर बैल्डिंग करके लगाये गये है।

   विद्युत चोरी रोकने हेतु प्रत्येक उपखण्ड में कार्यरत/सीसीए/लाईन मेन की बैठक उपखण्ड कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ली जाती है। जिसमें सीसीए/लाईन मेन के क्षेत्र में की जा रही विद्युत चोरी जैसे की ट्रांसफार्मर बैल्डिंग तोडकर चोरी करना, केबल काटकर विद्युत चोरी करना आदि के संबंध में सूचना प्राप्त की जाती है तथा दोशी व्यक्ति के विरूद्व सतर्कता जॉच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है।

   उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर सतर्कता दल द्वारा विद्युत चोरी करने वाले की जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

   विद्युत चोरी के 507 प्रकरण थाने में दर्ज हुए है जिसमें से 39 कुल गिफ्तारी हुई है तथा 35 के चलान हुए है, 421 एफ.आर.प्रशमन, 37 एफ.आर. अन्य एवं 14 शेष मुकदमाद है। मुकदमाद के तहत राशि 3076749.00 एवं पुरानी वीसीआर की राशि 1921331.00 वसूल की गई है।